श्रीमान सहायक कलक्टर एवं एस डी ओ महोदय

गुडामालानी जिला बाडमेर ।

वादीगण:–

1. मांगा वल्द माधा उम्र67वर्ष
2. छगना पुत्र श्री खेमा उम्र63वर्ष
3. भारमल पुत्र श्री खेमा उम्र वर्ष
4. हिम्मता पुत्र श्री खेमा उम्र 38 वर्ष
5. होली पुत्र श्री खेमा उम्र36वर्ष
6. टीपु पत्नी खेमा उम्र83वर्ष

जाति गुरूडा निवासी सोनगिरी की ढाणी

तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत आमलियाला पंचायत समिति गुडामालानी जिला बाडमेर
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आमलियाला प.स. गुडामालानी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955</u>

महोदयजी ,

वादीगण का वाद निम्न प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मांगा

1. कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 275 रकबा 40–08 बीघा मौजा सोनगिरी की ढाणी तहसील गुडामालानी मे आया हुआ है । जिसमे वादी का कब्जा कास्त है तथा वादी का रहवासी घर बना हुआ है , तथा वादीगण वर्तमान मे निवास करता है , नकल जंमाबंदी व नक्शा की प्रमाणित प्रति साथ पेश है ।

2. कि उपरोक्त खेत जो वादपत्र के पद सख्या 1 मे अंकित है जिसके सेढा सेढ खसरा संख्या 275/2 रकबा 1–03 बीघा राजस्थान सरकार के पक्ष मे रास्ता दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण मौके पर वादीगण खेत खसरा संख्या 275 मे से सडक निकाल रहे है तथा वादीगण खातेदारी खेत को खुर्द बुर्द मेरी खातेदारी भूमि मे से पक्की सी सी रोड निकालने पर आमदा है । प्रतिवादीगण सडक का निर्माण करने हेतु राजनैतिक द्वेष भावना से वादीगण खातेदारी खेत को खुर्द बुर्द करने हेतु आमदा है ।

3. कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सदभावी काश्तकारो की जमीन पर कब्जा कर जमीन हडपने की कोशिश करते है तथा बिना किसी राजस्व रेकर्ड मे आम रास्ता दर्ज नही होने के बावजुद भी वादीगण खातेदारी भूमि मे से रास्ता मे से रास्ता निकालने व कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर सफल हो गये तो फिर कब्जा हटाना मुश्किल हो जायेगा इसलिऐ वादी को यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना पडा जिस हेतु यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमानजी के समक्ष पेश है ।

4. कि यदि प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वो वादी की कीमती जमीन पर पक्की सडक कर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कर सडक बना लेगा । वादी सदभावी काश्तकार है तथा कानून मे विश्वास रखता है वादी के पास स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के अलावा ओर कोई विकल्प नही है । वादी रेकडेर्ड खातेदार है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष मे है यदि प्रतिवादी गण इसमे सफल हो गया तो सबसे अधिक क्षति वादी को होगी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:17 IST
Reason: SelfAttested

22/01/21

पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता को ईसमय से तीन बार तीन-तीन आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः उक्त प्रकरण वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील हुक्म होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:17 IST
Reason: SelfAttested